



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण
प्रकटीकरण विवरण


2012 - 2013

(राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
की धारा 5, 6 और 7 के अन्तर्गत)

प्राक्कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बनाये गए राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006, क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील हैं।

अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 और सहपठित नियम 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में विधान सभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।



अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

26 मार्च, 2012

I. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

1. राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजवित्तीय स्थिरता व संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 लागू किया गया है जो 3 मई, 2005 से प्रभावशील है।

2. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट के साथ राजवित्तीय नीति के निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं :

- (1) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण; और
- (2) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण।

3. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में, अन्तर्निहित धारणाओं के स्पष्ट प्रतिपादन सहित राज्य सरकार के राजवित्तीय उद्देश्य और कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताएं उपवर्णित होंगी।

4. विशिष्टतया और उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित से संबंधित सहनीयता का निर्धारण सम्मिलित होगा :-

- (क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन;
- (ख) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग;
- (ग) आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित वार्षिक पेंशन दायित्व:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वित्तीय वर्षों की कालावधि के लिए पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

5. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:-

- (क) राजस्व प्राप्तियों, व्यय, उधार और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों, उधार देने और विनिधान, लोक माल/सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभार और अन्य क्रियाकलापों जैसे पब्लिक सैक्टर उपक्रमों की प्रत्याभूतियां और क्रियाकलाप, जिनकी संभावी बजटीय विवक्षाएं हैं, के वर्णन से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजवित्तीय नीतियां;

(ख) राजवित्तीय क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की कार्य-नीति संबंधी प्राथमिकताएं;

(ग) राजस्व प्राप्तियों, सहायिकी, व्यय, प्रशासित मूल्य-निर्धारण, उधारों और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों में किसी मुख्य विचलन के लिए मुख्य राजवित्तीय उपाय और मूलाधार;

(घ) एक मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां धारा 4 में उपवर्णित राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति योजना में उपवर्णित राजवित्तीय उद्देश्यों के किस प्रकार अनुरूप हैं।

6. अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेगी और तत्पश्चात् इसे बनाये रखेगी या राजस्व अधिशेष प्राप्त करेगी;
- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजवित्तीय घाटे को सकल राज्य देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुपात को बनाये रखेगी या इसे कम करेगी।

परन्तु राजस्व घाटा और राजवित्तीय घाटा निम्न परिस्थितियों में धारा-6 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा:-

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण, या

(ख) विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण, या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक,

इसके अतिरिक्त:-

- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए अपने कुल बकाया ऋण को सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 प्रतिशत तक सीमित करेगी;
- राज्य सरकार राज्य अर्थव्यवस्था और सापेक्ष राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण लाना सुनिश्चित करेगी;

- सरकार, पब्लिक सैक्टर और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुए बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनर्निर्धारित किये गए हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजस्व घाटे एवं राजवित्तीय घाटे के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है एवं इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों में राजवित्तीय घाटे को, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.14 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों के अनुसार 927.61 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य सम्भावित है।

7. अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी:-

- किसी परिवर्तन की दशा में, विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या संभवतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;
- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों, अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों का ब्यौरा;
- आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वित्तीय वर्षों तक पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।

8. अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति:- दिनांक 3 मई, 2005 को अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार थी:-

- राजकोषीय घाटे की दृष्टि से उन राज्यों को गंभीर राजवित्तीय दबाव में माना जाता है जहां राज्य का ऋणभार कुल राजस्व प्राप्तियों के 300 प्रतिशत से अधिक हो। राज्य में वर्ष 2002-03 में यह अनुपात 351 प्रतिशत हो गया था।
- वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 31.23 एवं 30.07 प्रतिशत था।
- वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.26 तथा 6.90 प्रतिशत था।

II. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 3 के अन्तर्गत मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण प्ररूप रा-1 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है:-

क. राजवित्तीय संकेतक-चल लक्ष्य :

(करोड़ रुपये में)

	2011-12 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	2011-12 पुनरीक्षित प्राक्कलन (पु.प्रा.)	2012-13 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
				2013-14	2014-15
1. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/अधिशेष	0.67	0.79	1.47	1.40	1.30
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा	2.19	2.09	2.14	2.39	2.63
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व	29.08	29.06	28.65	28.43	28.48
4. समेकित निधि के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण और जोखिम भारत बकाया प्रत्याभूति	153	141	134	136	135

नोट:- वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के अनुमान, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर पर आधारित हैं।

ख. राजवित्तीय संकेतकों में अन्तर्निहित धारणाएं

क्रम सं.		वृद्धि दर 2010-11 (वास्तविक)	वृद्धि दर 2011-12 (पु.प्रा.)	वृद्धि दर 2012-13 (ब.प्रा.)	परियोजित वृद्धि दर	
					2013-14	2014-15
I	राजस्व प्राप्तियां	29.80	22.19	12.52	11.90	12.02
1	केन्द्रीय करों में हिस्सा	38.86	16.50	18.23	15.00	15.00
2	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	26.46	16.71	10.75	12.75	12.84
	क. बिक्री कर	24.26	18.77	10.33	15.00	15.00
	ख. आबकारी	24.38	3.10	10.17	10.00	10.00
	ग. स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण	42.42	28.80	12.00	11.00	11.00
	घ. मोटरयान कर	17.44	6.99	10.14	10.00	10.00
	ड. प्रवेश कर	31.00	14.87	5.66	5.00	5.00
	च. विधुत शुल्क	29.40	37.41	20.93	5.00	5.00
	छ. भू-राजस्व	50.46	-11.75	0.00	5.00	5.00
	ज. मनोरंजन और विलासिता कर	10.10	-28.45	10.63	5.00	5.00
	झ. अन्य कर (भूमि कर आदि)	119.93	3.19	0.00	5.00	5.00
3	राज्य का स्वयं का गैर-कर राजस्व	38.08	37.56	3.38	6.77	6.81
	क. जल प्रदाय और स्वच्छता	30.61	-20.63	5.00	5.00	5.00
	ख. खनन	19.68	17.12	10.62	10.00	10.00
	ग. पेट्रोलियम	1375.38	92.60	6.69	6.00	6.00
	घ. ब्याज प्राप्तियां	7.70	28.12	-12.65	5.00	5.00
	ड. अन्य	-18.76	19.94	2.73	5.00	5.00

क्रम सं.		वृद्धि दर	वृद्धि दर	वृद्धि दर	परियोजित वृद्धि दर	
		2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पु.प्रा)	2012-13 (ब.प्रा.)	2013-14	2014-15
4	केन्द्रीय सहायता-अनुदान	16.80	37.18	16.92	8.59	8.64
	क. गैर-आयोजना अनुदान	0.07	64.18	28.57	10.00	10.00
	ख. योजना अनुदान	54.93	18.22	12.48	10.00	10.00
	ग. के.प्रा.यो. अनुदान	-0.95	37.65	9.01	5.00	5.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां	29.80	22.19	12.52	11.90	12.02
II	गैर-योजना राजस्व व्यय	6.72	16.71	14.10	11.60	11.76
	(i) ब्याज संदाय (ऋण सेवा)	8.86	7.08	5.39	5.00	5.00
	(ii) पेंशन	5.40	17.01	11.55	12.00	12.00
	(iii) आपदा राहत	-50.69	202.93	-28.48	5.00	5.00
	(iv) सामान्य शिक्षा	3.67	12.18	18.32	15.00	15.00
	(v) चिकित्सा और स्वास्थ्य	5.41	14.21	20.29	15.00	15.00
	(vi) जल प्रदाय एवं स्वच्छता	-1.34	12.92	1.78	10.00	10.00
	(vii) ऊर्जा	42.19	32.10	83.59	20.00	20.00
	(viii) सिंचाई	5.62	7.14	5.31	10.00	10.00
	(ix) अन्य	10.17	22.01	9.51	10.00	10.00
III	योजना राजस्व व्यय	38.01	63.15	3.12	15.00	15.00
IV	के.प्रा.यो. राजस्व व्यय	44.05	21.37	11.08	5.00	5.00
V	पूँजीगत व्यय	1.47	57.48	17.18	20.00	20.00
VI	उधार और अग्रिम (शुद्ध)	-114.59	120.70	-17.11	0.00	0.00
VII	सकल राज्य देशी उत्पाद	22.95	13.79	10.00	10.00	10.00

ग. सहनीयता का निर्धारण (Assessment of sustainability)

(i) अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कुल व्यय और राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो। वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 13.79 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 10 प्रतिशत एवं 2013-14 व 2014-15 में 10 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में कुल कर राजस्व प्राप्तियां, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 15.24 प्रतिशत रहना अनुमानित है और वर्ष 2014-15 तक इसके 16.15 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.58 प्रतिशत है और वर्ष 2014-15 में यह 6.96 प्रतिशत रहना अनुमानित है। वर्ष 2011-12 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 4.07 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 2014-15 में 4.78 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रयास किया जायेगा ताकि उन्हें सहनीय बनाया जा सके। वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान दायित्वों को सीमित रखना राजवित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र पर दिए जा रहे अनुदान को व्यावहारिक स्तर पर रखने का प्रयास किया जायेगा। तेरहवें वित्त आयोग ने वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों की बकाया ऋण राशि 273 करोड़ रुपये का अपलेखन करने एवं राष्ट्रीय

अल्प बचत निधि से दिनांक 31.03.2007 तक लिए गए ऋणों के पेटे दिनांक 31.03.2010 को बकाया ऋणों पर ब्याज की दर घटाकर 9 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के अन्तर्गत निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित कर राज्य सरकार ऋण अपलेखन/ब्याज में कमी की सुविधा का पूरा लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करेगी।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाजार से प्राप्त किये गए ऋण भी शामिल हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा समाप्त करने एवं राजवित्तीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए वचनबद्ध है।

(iii) आगामी दस वर्षों हेतु जीवनांकिक आधार पर संगणित पेंशन का दायित्व प्ररूप प्र-8 में दिया गया है।

घ. राज्य अर्थव्यवस्था की सम्भाव्यता के ब्यौरे वाला वार्षिक विवरण

(i) **राज्य अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण:** राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रचलित तथा स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 3,68,320 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य (2004-05) पर 2,15,454 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2011-12 में स्थिर मूल्य (2004-05) पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 31,468 रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2010-11 में 30,326 रुपये थी।

वर्ष 2004-05 में राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 4.30 प्रतिशत था जो वर्ष 2011-12 में घटकर 4.13 प्रतिशत रह गया।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। वर्ष 2004-05 एवं 2011-12 में अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना तालिका 1.1 में दर्शाई गई है जो अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रकट करती है। अर्थव्यवस्था के विश्लेषण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2004-05 को जी.एस.डी.पी. हेतु आधार वर्ष चुना गया है। कृषि क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। उद्योग क्षेत्र में खनन, पंजीकृत विनिर्माण, अपंजीकृत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जलप्रदाय सम्मिलित हैं। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रेलवे, अन्य परिवहन, भण्डारण, संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, स्थावर सम्पदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं आती हैं।

तालिका 1.1

क्षेत्र/वर्ष	(प्रतिशत में)	
	2004-05	2011-12
कृषि	25.62 (19.03)	22.09 (13.92)
उद्योग	30.56 (27.92)	29.85 (27.05)
सेवा	43.82 (53.05)	48.06 (59.03)

नोट:- कोष्ठक के आंकड़े अखिल भारतीय हैं।

वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंशदान 22.09 प्रतिशत है जो अखिल भारतीय स्तर के 13.92 प्रतिशत से अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का अंशदान 29.85 प्रतिशत है, जो देश के 27.05 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 48.06 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर के 59.03 प्रतिशत से कम है।

(ii) **सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि** : राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अच्छा मानसून होने अथवा नहीं होने का सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान स्थिर मूल्यों (2004-05) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय स्तर के 8.4 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2011-12 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 3,68,320 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य पर यह 2,15,454 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष 2010-11 की तुलना में क्रमशः 13.79 प्रतिशत तथा 5.41 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

कृषि क्षेत्र

सामान्यतः स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अखिल भारतीय स्तर से अधिक रही है। वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र में 5.86 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि 6.42 प्रतिशत थी।

औद्योगिक क्षेत्र

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 7.48 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में औसत वृद्धि 7.88 प्रतिशत थी।

सेवा क्षेत्र

वर्ष 2004-05 से 2011-12 में सेवा क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.20 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि 9.56 प्रतिशत थी।

(iii) सरकार का वित्त सर्वेक्षण

(अ) प्राप्तियां

1. राज्य की अधोसंरचना के विकास हेतु किया गया लोक निवेश, राज्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और यह क्षमता राज्य की राजस्व वृद्धि की संभावनाओं में परिलक्षित होती है। मध्यमकाल में राज्य की राजवित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना आवश्यक है, ताकि राज्य के विकास व्यय में वृद्धि हो सके एवं अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार किया जा सके।

2. सरकार की कुल प्राप्तियां, राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों से निर्मित होती हैं। राजस्व प्राप्तियों, लोक ऋण, उधार वसूली तथा अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से मिलकर राज्य की संचित निधि बनती है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 72.89 प्रतिशत से 84.66 प्रतिशत (तालिका 1.2) के मध्य परिवर्तित होता रहा है।

तालिका 1.2
राज्य की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	लोक ऋण	उधार वसूली	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	संचित निधि	शुद्ध लोक लेखा	कुल प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियां	
								(संचित निधि से प्रतिशत)	(कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)
2006-07	25592.18	4222.14	513.90	0.00	30328.22	1800.14	32128.36	84.38	79.65
2007-08	30780.62	5063.34	1780.73	1.16	37625.85	-730.45	36895.40	81.81	83.43
2008-09	33468.85	7477.87	89.23	4.21	41040.16	2472.78	43512.94	81.55	76.92
2009-10	35385.01	8796.42	112.00	8.94	44302.37	4241.03	48543.40	79.87	72.89
2010-11	45928.20	7977.35	318.40	13.42	54237.37	12.92	54250.29	84.68	84.66

3. राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां तथा केन्द्रीय हस्तांतरण आते हैं। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्धारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। तेरहवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 5.853 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 5.945 प्रतिशत अंश निश्चित किया है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हैं। राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां		केन्द्रीय हस्तांतरण		कुल राजस्व	प्रतिशत वृद्धि (पूर्व वर्ष से)
	कर	गैर कर राजस्व	कर	अनुदान		
2006-07	11608.24	3430.61	6760.37	3792.96	25592.18	22.80
2007-08	13274.73	4053.93	8527.60	4924.36	30780.62	20.27
2008-09	14943.50	3888.46	8998.72	5638.17	33468.85	8.73
2009-10	16414.27	4558.22	9258.13	5154.39	35385.01	5.73
2010-11	20758.13	6294.12	12855.62	6020.33	45928.20	29.80

4. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में गत चार वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें 15.64 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Annual Average Compound Growth Rate) से वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका 1.4 में दर्शाया गया है। राजकोषीय समेकन की दृष्टि से आगामी वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में यथा संभव वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।

तालिका 1.4
राज्य के कर राजस्व में वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

स्वयं का कर राजस्व	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	चक्रवृद्धि वृद्धि दर (प्रतिशत)
भू-राजस्व	116.71	155.29	162.52	147.66	222.17	17.46
पंजीयन एवं मुद्रांक	1293.68	1544.35	1356.63	1362.93	1941.05	10.68
अन्य कर (भूमि एवं भवन कर/भूमिकर)	52.92	51.08	227.96	132.19	290.73	53.09
राज्य आबकारी	1591.09	1805.12	2169.90	2300.48	2861.41	15.80
बिक्री कर	6720.71	7750.74	8904.50	10163.53	12629.59	17.08
वाहन पर कर	1023.61	1164.40	1213.56	1372.87	1612.25	12.03
प्रवेश कर	247.60	160.61	189.86	176.10	230.69	-1.75
विधुत शुल्क	515.88	584.23	654.05	699.99	905.81	15.11
मनोरंजन एवं विलासिता कर	46.04	58.91	64.52	58.52	64.43	8.76
योग	11608.24	13274.73	14943.50	16414.27	20758.13	15.64

बिक्री कर का, राज्य के कर राजस्व में 60.84 प्रतिशत योगदान है। बिक्री कर में, वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक, चार वर्षों में, 17.08 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि रही है। पंजीयन एवं मुद्रांक में 10.68 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है।

5. राज्य के गैर कर राजस्व में, वर्ष 2008-09 के अतिरिक्त, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है (तालिका 1.5)। खनन क्षेत्र से राजस्व वसूली उत्साहजनक रही है। गैर कर राजस्व में, वर्ष 2010-11 में खनन के पश्चात् पेट्रोलियम एक नया महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

तालिका 1.5
राज्य के गैर कर राजस्व के घटक

(करोड़ रुपये में)

गैर कर राजस्व	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ब्याज प्राप्तियां	1072.72	1112.43	1195.96	1185.46	1276.70
जल प्रदाय एवं स्वच्छता	182.49	204.16	215.27	237.15	309.74
वन	45.24	58.30	57.74	56.35	93.20
सिंचाई (मुख्य, मध्यम व लघु)	75.94	71.52	71.52	71.45	103.91
पेट्रोलियम	8.68	8.93	8.48	110.50	1630.29
खनन	1196.52	1226.61	1275.59	1612.26	1929.58
अन्य	849.02	1371.98	1063.90	1285.05	950.70
योग	3430.61	4053.93	3888.46	4558.22	6294.12

(ब) व्यय

1. लोक व्यय के माध्यम से सरकार, राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। लोक व्यय को आयोजना तथा आयोजना भिन्न मदों में विभाजित किया जाता है। आयोजना व्यय से आर्थिक विकास को गति मिलती है। साथ ही योजनान्तर्गत कार्यक्रमों (Plan Schemes) की समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है ताकि योजनाओं की सामयिक सार्थकता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का आवर्ती व्यय, आयोजना भिन्न व्यय में हस्तान्तरित किया जाता है।

2. गत पाँच वर्षों (2006-07 से 2010-11) में आयोजना व्यय में 13.14 प्रतिशत और आयोजना भिन्न व्यय में 14.47 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि रही है (तालिका 1.6)।

तालिका 1.6
आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयोजना व्यय (राज्य बजट से)	वृद्धि (%)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	आयोजना भिन्न व्यय (ऋणों के भुगतान को छोड़कर)	वृद्धि (%)	कुल व्यय	वृद्धि (%)	कुल व्यय में आयोजना व्यय का प्रतिशत
2006-07	7025.28	6.98	1740.08	21310.45	15.44	30075.81	14.67	23.36
2007-08	8892.36	26.58	2095.00	24983.52	17.24	35970.88	19.60	24.60
2008-09	9560.07	7.51	2630.04	28345.50	13.46	40535.61	12.69	23.58
2009-10	10732.10	12.26	1836.63	33236.01	17.26	45804.74	13.00	23.43
2010-11	12059.06	12.36	2113.40	36213.62	8.96	50386.08	10.00	23.93

3. लोक व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में भी किया जाता है। पूंजीगत व्यय, मुख्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन और निवेश को दर्शाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये।

4. वर्ष 2010-11 के दौरान वेतन भुगतान का व्यय, आयोजना भिन्न राजस्व व्यय का करीब 36.96 प्रतिशत रहा है और इसमें वर्ष 2009-10 की तुलना में 2.89 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है (तालिका 1.7)।

तालिका 1.7
आयोजना भिन्न राजस्व व्यय की संरचना

(करोड़ रुपये में)

आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वेतन	6667.08	7357.77	10748.42	12976.45	13351.21
पेंशन	2116.24	2564.20	3322.11	4886.84	5150.65
ब्याज	5701.82	5942.99	6224.25	6769.13	7369.00
सहायतार्थ अनुदान	3022.37	4987.82	4350.13	4623.54	5974.83
अन्य	3646.17	3141.20	3880.08	4589.34	4274.99
योग	21153.68	23993.98	28524.99	33845.30	36120.68

(स) लोक ऋण

1. 31 मार्च, 2012 तक राज्य का लोक ऋण 71974.14 करोड़ रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19.54 प्रतिशत होना अनुमानित है। लोक ऋण की संरचना तालिका 1.8 में दर्शायी गई है :

तालिका 1.8
लोक ऋण की संरचना

(करोड़ रुपये में)

स्रोत/ वर्ष	31.3.2010 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2011 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2012 की स्थिति (संशोधित अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत
बाजार से उधार	30610.98	47.37	35448.19	51.17	38551.71	53.56
वित्तीय संस्थाएं एवं अन्य	3212.01	4.97	3719.17	5.37	4298.54	5.97
एन.एस.एस.एफ.	23209.46	35.92	22656.16	32.70	21517.85	29.90
अन्य (बॉन्ड)	110.63	0.17	73.76	0.11	55.32	0.08
अर्थोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक से)	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय विशेष अग्रिम	-	-	-	-	-	-
केन्द्र से ऋण	7474.49	11.57	7380.39	10.65	7550.72	10.49
योग	64617.57	100.00	69277.67	100.00	71974.14	100.00

2. राजवित्तीय एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में कुल बकाया ऋण सकल राज्य देशी उत्पाद के क्रमशः 39.3 तथा 38.3 प्रतिशत तक सीमित रखना है। तदनुसार वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों में यह प्रतिशत क्रमशः 29.06 तथा 28.65 प्रतिशत अनुमानित है। कुल बकाया ऋण का विवरण प्ररूप प्र-7 में दिया गया है।

(iv) संभाव्यता

(1) सामान्यतः राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन से प्रभावित होती है। राजस्थान में कृषि सदैव वर्षा के अभाव से प्रभावित रही है जो मानसून की प्रकृति पर निर्भर है। राज्य का उत्तरी-पश्चिमी भाग जो सम्पूर्ण राज्य का लगभग 61 प्रतिशत है, या तो मरु या अर्द्धमरुस्थली है जो जल एवं कृषि आवश्यकता हेतु पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य में कुल फसल क्षेत्र, मानसून के प्रभाव से वर्ष दर वर्ष घटता-बढ़ता है, वर्ष 2010-11 (प्रावधानिक) में 260.02 लाख हैक्टेयर रहा जो वर्ष 2009-10 में 217.45 लाख हैक्टेयर था।

(2) वर्ष 2011-12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर 3,68,320 करोड़ रुपये एवं 2,15,454 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.79 एवं 5.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र में 5.08 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 11.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र में 14.37 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 14.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(3) चयन आर्थिक समष्टिभाव संकेतकों एवं राजवित्तीय संकेतकों के रुखों का ब्यौरा सारणी-1 में प्रस्तुत है:-

सारणी-1

चयन आर्थिक समष्टिभाव और राजवित्तीय संकेतकों के रुख

चयन आर्थिक समष्टिभाव

(करोड़ रुपये में)

I	आर्थिक समष्टिभाव संकेतक	2009-10 (प्राव.)	2010-11 (त्वरित)	2011-12 (अग्रिम)
I	फैक्टर लागत पर सकल राज्य देशी उत्पाद			
क	चालू कीमत पर	263258	323682	368320
ख	2004-05 की कीमत पर	184189	204398	215454
II	कृषि क्षेत्र का योगदान			
क	चालू कीमत पर	61485 (23.36)	88495 (27.34)	98564 (26.76)
ख	2004-2005 की कीमत पर	36506 (19.82)	46434 (22.72)	47597 (22.09)
III	औद्योगिक क्षेत्र का योगदान			
क	चालू कीमत पर	79809 (30.31)	92101 (28.45)	105338 (28.60)
ख	2004-05 की कीमत पर	58073 (31.53)	61195 (29.94)	64306 (29.85)
IV	सेवा क्षेत्र का योगदान			
क	चालू कीमत पर	121964 (46.33)	143086 (44.21)	164418 (44.64)
ख	2004-05 की कीमत पर	89610 (48.65)	96769 (47.34)	103551 (48.06)

कोष्ठक में लिखे अंक प्रतिशत योगदान है।

राजवित्तीय संकेतकों के रुख

(करोड़ रुपये में)

II	सरकार का वित्त	2010-11 वास्तविक लेखे	2011-12 के लिए बजट प्राक्कलन	2011-12 के लिए पु.प्रा	2012-13 के लिए बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	45928.20	52287.36	56121.13	63146.83	22.19	12.52
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	33613.75	36793.06	39203.90	44539.17	16.63	13.61
2.1	स्वयं का कर राजस्व	20758.13	21349.45	24226.86	26832.32	16.71	10.75
2.2	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	12855.62	15443.61	14977.04	17706.85	16.50	18.23
3	गैर कर राजस्व (3.1+3.2)	12314.45	15494.30	16917.23	18607.66	37.38	9.99
3.1	राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व	6294.12	6438.13	8658.25	8951.13	37.56	3.38
3.2	केन्द्रीय अनुदान	6020.33	9056.17	8258.98	9656.53	37.18	16.92
4	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	8322.09	11810.61	12471.35	13925.02	49.86	11.66
5	उधारों की वसूली	318.40	167.79	1217.50	151.18	282.38	-87.58
6	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति	13.42	5.85	13.56	8.00	1.04	0.00
7	लोक ऋण और अन्य दायित्व	7990.27	11636.97	11240.29	13765.84	40.67	22.47
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	54250.29	64097.97	68592.48	77071.85	26.44	12.36
9	गैर-योजना व्यय	36213.62	41238.25	42243.48	48128.12	16.65	13.93
9.1	राजस्व लेखा	36120.68	41223.80	42155.68	48100.02	16.71	14.10
	जिसमें है :-						
	(क) ब्याज संदाय	7369.00	8012.48	7890.46	8315.50	7.08	5.39
	(ख) सहाय्यतार्थ अनुदान	5974.83	5041.13	7349.95	9613.26	23.02	30.79
	(ग) मजदूरी और वेतन	13730.57	15834.70	15512.01	18487.64	12.97	19.18
	(घ) पेंशन संदाय	5150.65	6155.47	6026.97	6723.10	17.01	11.55

II	सरकार का वित्त	2010-11 वास्तविक लेखे	2011-12 के लिए बजट प्राक्कलन	2011-12 के लिए पु.प्रा	2012-13 के लिए बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि/कमी(-)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
9.2	पूँजीगत लेखा	20.06	14.25	29.75	27.85	48.31	-6.39
9.3	उधार और अग्रिम	72.88	0.20	58.05	0.25	-20.35	-99.57
10	योजना व्यय	12059.05	16587.10	20167.13	20986.83	67.24	4.06
10.1	राजस्व लेखा	6938.75	8406.68	11320.73	11673.70	63.15	3.12
10.2	पूँजीगत लेखा	4954.04	8172.88	7835.84	9301.63	58.17	18.71
10.3	उधार और अग्रिम	166.26	7.54	1010.56	11.50	507.82	-98.86
11	के. प्रा. यो. व्यय	2113.40	2699.12	2629.00	2841.66	24.40	8.09
11.1	राजस्व लेखा	1813.91	2304.26	2201.48	2445.50	21.37	11.08
11.2	पूँजीगत लेखा	276.52	363.01	402.86	359.71	45.69	-10.71
11.3	उधार और अग्रिम	22.97	31.85	24.66	36.45	7.36	47.81
12	कुल व्यय (9+10+11)	50386.07	60524.47	65039.61	71956.61	29.08	10.64
13	राजस्व व्यय	44873.34	51934.74	55677.89	62219.22	24.08	11.75
14	पूँजीगत व्यय	5250.62	8550.14	8268.45	9689.19	57.48	17.18
15	उधार और अग्रिम	262.11	39.59	1093.27	48.20	317.10	-95.59
16	राजस्व घाटा/आधिक्य	1054.86	352.62	443.24	927.61	-57.98	109.28
17	राजवित्तीय घाटा	-4126.05	-8063.47	-7687.42	-8650.60	86.31	12.53
18	प्राथमिक घाटा/आधिक्य [17+9.1(क)]	3242.95	-50.99	203.04	-335.10	-93.74	-265.04

ड. सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और वेतन का ब्यौरा देने वाला विवरण :

सारणी- 2

सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं इत्यादि में नियोजन और वेतन व्यय

क्र. सं.		कर्मचारियों की संख्या (हजारों में)		वेतन व्यय (करोड़ रुपये में)	
		2010-11	2011-12 (अनन्तिम)	2010-11	2011-12 (अनन्तिम)
1.	सरकारी विभाग	627 ^a	628 ^a	14327 ^a	16518 ^a
2.	पब्लिक सैक्टर उपक्रम	84 ^{**}	82 ^{**}	3869 ^{**}	3676 ^{**}
3.	सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाएं	24	24	713	648
4.	पंचायतीराज संस्थाएं	76	79	2254	2467
5.	शहरी स्थानीय निकाय	32	31	778	902

* स्वीकृत पदों के अनुसार।

a 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

** ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

□ कतिपय वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन सीधे निर्माण कार्यों पर प्रभारित होता है, उक्त व्यय में सम्मिलित नहीं है।

III. राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण प्ररूप रा - 2 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:-

(क) **राजवित्तीय नीति सर्वेक्षण** - राज्य की राजवित्तीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना तथा समाज के कमजोर तबके को उपयुक्त सुरक्षा कवच प्रदान करना है ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें तथा सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में राजवित्तीय पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन ने कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2011-12 में 22.19 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2010-11 में 26.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में 16.71 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के गैर आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2010-11 में 6.72 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में इसमें 16.71 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। राज्य राजस्व घाटे की स्थिति से उबर कर राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व आधिक्य की स्थिति में आ गया है तथा वर्ष 2010-11 में 1054.86 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य अर्जित किया गया है। इसी क्रम को जारी रखते हुए वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 443.24 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों में 927.61 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य संभावित है।

(ख) **आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति** - चूंकि वर्तमान राजवित्तीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष में भी लागू किया जायेगा, जिससे राज्य की आय में वृद्धि एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित किया जा सकेगा।

(i) **राजस्व नीति** : सरकार का प्रयत्न रहेगा कि विकास की गति को कम किये बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की जाए। सरकार की मंशा है कि वृहद कर सुधार नीति अपनाये, ताकि कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाया जा सके, कर आधार का विस्तार किया जा सके, कर वसूली का पालन किया जा सके एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। कर संकलन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु संबंधित विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग किया जायेगा।

(ii) **व्यय नीति** : परिव्यय सदैव परिणाम में परिणित हों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय व्यय में सादगी एवं मितव्ययता लाने का भी प्रयास किया जायेगा जिससे अनुत्पादक व्यय में कमी लाई जा सके।

(iii) **उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधान** : ऋण के स्तर को राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य के भीतर सीमित रखा जायेगा। राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि प्राप्तियों और व्यय के मध्य दिन प्रतिदिन आधार पर इस प्रकार से संतुलन बनाया जाये, जिससे कि मार्गोपाय अग्रिम अथवा ओवर ड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। राज्य सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा।

(iv) **समाश्रित और अन्य दायित्व** : प्रत्याभूतियां जारी करने हेतु वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तथापि राजकीय प्रत्याभूतियां जारी करते समय जोखिम को ध्यान में रखा जाता है। विशेष प्रयोजन उपकरण और अन्य समतुल्य उपकरणों, जिसमें प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार पर हो सकता है, से संबंधित व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। राज्य में गारण्टी मोचन निधि की व्यवस्था वर्ष 1999-2000 से लागू की हुई है। गारण्टी कमीशन से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जाता है। बकाया प्रत्याभूतियों, जोखिम भारित प्रत्याभूतियों की सूचना एवं गारंटी मोचन निधि में जमा की जा रही राशि को प्रकटीकरण विवरण पत्र प्र. 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।

(v) **उपयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण** : गैर कर राजस्व में वृद्धि, सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में उपयोक्ता प्रभारों पर निर्भर करती है। सामान्यतः उपयोक्ता प्रभार गैर कर राजस्व का एक प्रमुख घटक है। उपयोक्ता प्रभारों के निर्धारण में साम्यता तथा भुगतान क्षमता एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। अब जब विद्युत दरों के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग पर है, राज्य सरकार द्वारा अन्य उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।

(ग) **आगामी वर्ष के लिए युक्तिक पूर्विक्तार्ये** – 1 अप्रैल, 2006 से नई कर प्रणाली अर्थात् वैट लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य के कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैर कर राजस्व में बेहतर वसूली के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का युक्तिसंगत उपयोग करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा। लोक ऋण का प्रबन्धन अगले अनुच्छेद में की गई विवेचना के अनुसार किया जायेगा।

(घ) **नीति परिवर्तनों के लिए मूल आधार** – बजट के माध्यम से किये जाने वाले व्यय की नीति में प्रमुख बदलाव नहीं किया जा रहा है।

(ङ.) **नीति मूल्यांकन** – वर्तमान राजवित्तीय नीति, अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित मापदण्डों के अन्तर्गत है। अधिनियम द्वारा वांछित राजवित्तीय जानकारियां यथासंभव उपलब्ध कराई गई हैं। राजवित्तीय नीति की आवश्यक मान्यताएं (Assumptions) ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने से सामान्यतः विश्वसनीय तो हैं परन्तु आंकड़ों के पूर्वानुमान की अपनी सीमाएं होती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमों में प्रावधित सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं।

IV. प्रकटीकरण विवरण

1. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रकटीकरण विवरण प्ररूप प्र-1 से प्र-8 में दिया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार है:-

चयनित राजवित्तीय संकेतक प्ररूप प्र -1

	मद	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजवित्तीय घाटा	1.27	2.09
2	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/आधिक्य	2.30	0.79
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व	30.67	29.06
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में बकाया लोक ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूति	180.70	159.20
5	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	60.29	59.06
6	सकल राजवित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय	127.26	107.56
7	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	16.04	14.06
8	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	16.42	14.17

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की 31.12.2011 को बकाया की स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (1.4.11) को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ आहरण (31.12.11 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.12.11 तक)	वर्ष के दौरान अवलंब लिया गया (31.12.11 तक)		(31.12.11 तक) को यथा विद्यमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियाँ
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सांविधिक निगम और बोर्ड										
1	राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	8.2703	0.3088	0.1356			8.4435	0.0072	0.0054	
2	रा. रा. जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम	48.5823	0.0000	1.2192			47.3631	0.1857	0.1857	
	योग	56.8526	0.3088	1.3548	0.0000	0.0000	55.8066	0.1929	0.1911	
सरकारी कम्पनियाँ										
3	राज.राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	3.8600	0.0000	3.8600			0.0000	0.0290	0.0290	
4	राज. राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	232.0000	140.0000	0.0000			372.0000	3.1450	2.2150	
5	राज. पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5.8500	0.0000	1.0000			4.8500	0.0540	0.0418	
	योग	241.7100	140.0000	4.8600	0.0000	0.0000	376.8500	3.2280	2.2858	
ऊर्जा										
6	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	5363.3032	524.5355	662.3969			5225.4418	8.5509	6.2350	
7	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	12384.2840	2586.6364	1284.5284			13686.3920	28.7039	19.6350	
8	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	12932.2079	2410.5818	948.0622			14394.7275	17.2642	11.8317	
9	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	14267.6191	3551.3571	1724.4614			16094.5148	33.9743	22.1103	
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3170.2158	1095.0000	927.8263			3337.3895	9.2243	5.9150	
	योग	48117.6300	10168.1108	5547.2752	0.0000	0.0000	52738.4656	97.7176	65.7270	
सहकारी समितियाँ										
11	दी राज. स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	248.9315	4.9930	73.5344			180.3901	0.2204	0.1778	
12	श्री केशवराय पाटन सह. शुगर मिल्स लिमिटेड	0.4000	0.0000	0.4000			0.0000	0.0000	0.0000	
13	राज. राज्य सहकारी आवसन संघ लिमिटेड	12.1687	0.0000	1.0902			11.0785	0.1380	0.1190	
14	राज. राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड	70.0000	308.7300	244.3000			134.4300	2.0363	0.8857	
15	राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	1273.3418	153.5959	241.2067			1185.7310	1.1647	0.8683	
16	राज. अजा. जजा. वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	42.4995	9.8298	16.5134			35.8159	0.0374	0.0285	
17	राज. अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सह. निगम लिमिटेड	14.3088	6.5000	1.0596			19.7492	0.0071	0.0071	
18	राज. अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सह.निगम लिमिटेड	22.7938	12.1800	5.4250			29.5488	0.0336	0.0226	
	योग	1684.4441	495.8287	583.5293	0.0000	0.0000	1596.7435	3.6375	2.1090	
राज्य वित्तीय निगम										
19	राज. वित्त निगम लिमिटेड	74.9500	0.0000	15.2750			59.6750	0.6719	0.5227	
	योग	74.9500	0.0000	15.2750	0.0000	0.0000	59.6750	0.6719	0.5227	
नगरीय विकास और आवसन										
20	आवास विकास लिमिटेड	433.0606	70.9500	27.8926			476.1180	4.6881	3.4699	
21	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	3.9429	0.0000	1.3389			2.6040	0.0229	0.0229	
22	राजस्थान आवसन मण्डल	2.5000	0.0000	2.5000			0.0000	0.0125	0.0125	
23	राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	75.0000	0.0000	0.0000			75.0000	0.7500	0.5625	
	योग	514.5035	70.9500	31.7315	0.0000	0.0000	553.7220	5.4735	4.0678	

क्र. सं.	नाम संस्था	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया नेट प्रत्याभूतियों की रकम राशि (1.4.11) को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ आहरण (31.12.11 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31.12.11 तक)	वर्ष के दौरान अवलंब लिया गया (31.12.11 तक)		(31.12.11 तक) को यथा विद्यमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियां
					उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नगर पालिकाएं/स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थाएं										
24	जिला परिषद चित्तौड़गढ़		14.4950	0.0000			14.4950	0.0000	0.0000	
25	जिला परिषद बांसवाडा		57.3280	0.0000			57.3280	0.0000	0.0000	
26	जिला परिषद नागौर		8.6600	0.0000			8.6600	0.0000	0.0000	
27	जिला परिषद हनुमानगढ़		17.0750	0.0000			17.0750	0.0000	0.0000	
28	जिला परिषद करौली		17.1130	0.0000			17.1130	0.0000	0.0000	
29	जिला परिषद कोटा		9.9430	0.0000			9.9430	0.0000	0.0000	
30	जिला परिषद बाडमेर		45.0830	0.0000			45.0830	0.0000	0.0000	
31	जिला परिषद अजमेर		8.8630	0.0000			8.8630	0.0000	0.0000	
32	जिला परिषद बूंदी		9.0300	0.0000			9.0300	0.0000	0.0000	
33	जिला परिषद बांरा		13.9435	0.0000			13.9435	0.0000	0.0000	
34	जिला परिषद टोंक		9.6980	0.0000			9.6980	0.0000	0.0000	
35	जिला परिषद बीकानेर		28.5350	0.0000			28.5350	0.0000	0.0000	
36	जिला परिषद भीलवाडा		30.1630	0.0000			30.1630	0.0000	0.0000	
37	जिला परिषद पाली		26.3980	0.0000			26.3980	0.0000	0.0000	
38	जिला परिषद अलवर		14.3500	0.0000			14.3500	0.0000	0.0000	
39	जिला परिषद चुरू		7.4330	0.0000			7.4330	0.0000	0.0000	
40	जिला परिषद दोसा		7.8300	0.0000			7.8300	0.0000	0.0000	
41	जिला परिषद जोधपुर		21.1110	0.0000			21.1110	0.0000	0.0000	
42	जिला परिषद जालौर		27.7520	0.0000			27.7520	0.0000	0.0000	
43	जिला परिषद श्रीगंगानगर		25.9950	0.0000			25.9950	0.0000	0.0000	
44	जिला परिषद धौलपुर		5.1345	0.0000			5.1345	0.0000	0.0000	
45	जिला परिषद भरतपुर		18.1400	0.0000			18.1400	0.0000	0.0000	
46	जिला परिषद डूंगरपुर		54.7680	0.0000			54.7680	0.0000	0.0000	
47	जिला परिषद सवाईमाधोपुर		13.1000	0.0000			13.1000	0.0000	0.0000	
48	जिला परिषद सिरोही		10.5880	0.0000			10.5880	0.0000	0.0000	
49	जिला परिषद राजसमंद		16.6180	0.0000			16.6180	0.0000	0.0000	
50	जिला परिषद प्रतापगढ़		7.9030	0.0000			7.9030	0.0000	0.0000	
51	जिला परिषद जैसलमेर		17.7560	0.0000			17.7560	0.0000	0.0000	
52	जिला परिषद झालावाड		13.8030	0.0000			13.8030	0.0000	0.0000	
53	जिला परिषद उदयपुर		102.0800	0.0000			102.0800	0.0000	0.0000	
54	जिला परिषद जयपुर		5.2330	0.0000			5.2330	0.0000	0.0000	
	योग	0.0000	665.9220	0.0000	0.0000	0.0000	665.9220	0.0000	0.0000	
अन्य संस्थाएं										
55	मेवाड टैक्सटार्इल मिल्स लिमिटेड	1.4940	0.0000	0.0000			1.4940	0.0000	0.0000	
56	खारवाल्स	0.3258	0.0061	0.0000			0.3319	0.0000	0.0000	
	योग	1.8198	0.0061	0.0000	0.0000	0.0000	1.8259	0.0000	0.0000	
	महायोग	50691.9100	11541.1264	6184.0258	0.0000	0.0000	56049.0106	110.9214	74.9034	

बकाया जोखिम-भारित प्रत्याभूतियां
प्ररूप प्र -3

(करोड़ रुपये में)

व्यतिक्रम सम्भाव्यता	जोखिम भार (प्रतिशत)	गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की रकम 31-03-2011	गत वर्ष के अंत में जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूतियां 31-03-2011
प्रत्यक्ष दायित्व	100	2.20	2.20
अति जोखिम	75	1684.04	1263.03
मध्यम जोखिम	50	839.46	419.73
निम्न जोखिम	25	48117.63	12029.41
अति निम्न जोखिम	5	0.00	0.00
शून्य जोखिम	0	48.58	0.00
कुल शोध्य		50691.91	13714.37

प्रत्याभूतियां मोचन निधि
प्ररूप प्र -4

(करोड़ रुपये में)

गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियां (31.03.2011)	गत वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम	प्रत्याभूतियों की रकम जिसका वर्ष के दौरान अवलंब लिया जाना संभावित है	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में परिवर्धन (अनन्तिम)	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में से आहरण (अनन्तिम)	चालू वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
50691.91	194.67	-	165.61	-	360.28*

* निधि से विनियोजित राशि पर अर्जित ब्याज सहित

31.12.2011 को यथाविद्यमान बकाया कर की मांगों का ब्यौरा
(यथा मांग की गयी किन्तु वसूल नहीं की गयी)
प्ररूप प्र -5

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	योग
0029	भू-राजस्व	60.44	59.63	2.21	7.88	130.16
0030	पंजीयन एवं मुद्रांक	26.70	50.48	55.55	4.15	136.88
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	90.87	199.11	63.68	-	353.66
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	-	17.00	17.69	170.40	205.09
0040	बिक्री कर	1333.01	886.08	832.82	132.51	3184.42
0041	वाहन कर	14.27	15.19	9.84	8.53	47.83
0042	माल व यात्री कर	288.41	72.57	17.47	10.57	389.02
0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क					124.89*
0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	32.15	7.76	1.98	0.97	42.86

टिप्पणी :- बकाया कर की मांगों में विवादित/न्यायिक प्रकरणों के कारण बकाया चल रही मांगों शामिल हैं।

* :- बकाया का वर्ष-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भाव्यतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्ररूप प्र-6

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले राजवित्तीय संकेतक	राजवित्तीय संकेतक पर सम्भाव्य प्रभाव	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
चालू वित्तीय वर्ष में लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।				

प्ररूप प्र-7

क. राज्य सरकार के उधार/अन्य दायित्वों के संघटक :

(करोड़ रुपये में)

प्रवर्ग	बकाया रकम (वित्तीय वर्ष के अंत में)		
	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	2012-13 (बजट प्रावधान)
कुल लोक ऋण	69277.67	71974.14	79745.40
आंतरिक ऋण	61897.28	64423.42	71425.02
केन्द्रीय सरकार के उधार	7380.39	7550.72	8320.38
अन्य दायित्व	30007.33	35052.03	36328.88
भविष्य निधि और बीमा	21813.44	24320.05	26387.21
आरक्षित निधि और जमा	8193.89	10731.98	9941.67
कुल दायित्व/ऋण	99285.00	107026.17	116074.28

ख. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों का ब्यौरा

	2010-11	2011-12 (31.12.2011 तक)
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के अवसरों की संख्या	शून्य	शून्य

टिप्पणी:- अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम की संगणना प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को सम्मिलित करते हुए) पर अर्थोपाय अग्रिमों की बकाया रकम को जोड़कर और अप्रैल से रिपोर्ट की कालावधि के दौरान के दिनों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का विवरण

प्ररूप प्र-8

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	परियोजित पेंशन दायित्व	अभ्युक्तियां (यदि कोई हों)
1	2013-14	6239.93	जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्वों को प्राक्कलित किया गया है।
2	2014-15	6395.61	" "
3	2015-16	6566.52	" "
4	2016-17	6730.30	" "
5	2017-18	6909.18	" "
6	2018-19	7096.43	" "
7	2019-20	7290.45	" "
8	2020-21	7541.24	" "
9	2021-22	7701.88	" "
10	2022-23	7918.85	" "